



भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय बोली आमंत्रण सूचना – 09-11 सितंबर, 2026- को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (जीएफएफ)
2026, मुंबई में इनोवेशन पवेलियन की स्थापना

बोली संख्या: आरबीआई/फिनटेक विभाग/केंद्रीय कार्यालय/प्र.प्र. सं एस60/08-13-104/2026-2027

फिनटेक विभाग
केंद्रीय कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुंबई- 400 001

अस्वीकरण

- i. बैंक ने इच्छुक पक्षों को पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालाँकि बैंक ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, लेकिन न तो बैंक और न ही इसके किसी भी अधिकारी या एजेंसी या कोई अधिकारी या कर्मचारी या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई आश्वासन देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वह व्यक्त हो या निहित।
- ii. यह जानकारी व्यापक होने के लिए तैयार नहीं की गई है। इच्छुक पक्षों को अपनी ओर से स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी तथा उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर केवल निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य रुचि रखने वाले पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो उनके वित्तीय बोली तैयार करने में उपयोगी हो सकती है। इस दस्तावेज़ में वे विवरण शामिल हैं जो बैंक या उनके सलाहकारों द्वारा आवश्यकताओं से संबंधित किए गए विभिन्न अनुमानों एवं मूल्यांकनों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे अनुमान, मूल्यांकन एवं विवरण प्रत्येक घटना प्रबंधन एजेंसी (ईएमए) द्वारा आवश्यक सभी जानकारी शामिल करने का दावा नहीं करते हैं। यह केवल मार्गदर्शन के रूप में उपयोग के लिए तैयार किया गया है तथा सलाह के रूप में नहीं माना जाता है। इस दस्तावेज़ में या बाद में ईएमए को बैंक या उनके किसी भी कर्मचारी या सलाहकार द्वारा या उनके निर्देश पर मौखिक रूप से, दस्तावेज़ रूप में या किसी अन्य रूप में प्रदान की गई जानकारी, इस दस्तावेज़ में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों तथा अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।
- iii. बैंक किसी भी या सभी वित्तीय बोली प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए वित्तीय बोली को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- iv. बैंक वित्तीय बोली के साथ आगे न बढ़ने या कार्य के विन्यास/कवरेज को बदलने या इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या यहाँ निर्दिष्ट मामलों में आंशिक या पूर्ण रूप से लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह इस कार्य में रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। ऐसे सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इस परियोजना में रुचि व्यक्त करने वाली संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

विषयसूची:

अनुभाग	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
क	कार्यक्रमों की समय-सारणी	6
ख	परिभाषाएँ और व्याख्या	8
ग	ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	10
घ	परिचय	15
ङ	कार्य का दायरा	16
च	नियम और शर्तें	19
छ	प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रारूप	25
ज	वित्तीय बोली का प्रारूप	29

अनुभाग क: कार्यक्रमों की समय-सारणी

xiv.	उद्देश्य	जीएफएफ 2026, मुंबई में इनोवेशन पवेलियन की स्थापना- 09-11 सितंबर, 2026
xv.	तिथि जब वित्तीय बोली, पार्टियों को देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी	वित्तीय बोली दस्तावेज़ बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in से 06 जुलाई, 2026 को शाम 7 बजे से डाउनलोड किया जा सकता है।
xvi.	पूर्व बोली बैठक की तिथि (ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकती है)	10 जुलाई, 2026 को अपराह्न 03.00 बजे से
xvii.	पूर्व बोली बैठक का स्थान	निश्चित किया जाना है
viii.	वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	30 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से
xix.	वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का माध्यम	केवल ऑनलाइन- एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से
xx.	बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	30 जुलाई, 2026 को अपराह्न 03.00 बजे से बोलियाँ खोलने के दौरान इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियाँ (1-2 प्रतिनिधि) मौजूद हो सकती हैं। बैंक अपने विवेक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बोलियाँ खोलने का फैसला कर सकता है। हालाँकि, किसी एक या सभी एजेंसी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी बोलियाँ खोली जा सकती हैं।
xxi.	अनुबंध प्रदान करने की तिथि	03 अगस्त, 2026
xxii.	अनुमानित मूल्य	₹ 1, 50,00,000/- (शब्दों में एक करोड़ पचास लाख रुपये मात्र)

xxiii.	बयाना राशि	आरएफपी आवेदन को 28 जुलाई, 2026 को कार्यालीन समय समाप्त होने से पूर्व एनईएफटी/बैंक गारंटी के माध्यम से देय 3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) की राशि को बयाना राशि जमा (ईएमओ) के साथ जमा किया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन न करने पर बोली निरस्त हो जाएगी तथा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।							
xiv.	बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान के लिए खाता विवरण	<table><tr><td>लाभार्थी का नाम</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक</td></tr><tr><td>खाता संख्या</td><td>41869229993</td></tr><tr><td>आईएफएससी कोड</td><td>RBIS0COD001</td></tr></table>	लाभार्थी का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक	खाता संख्या	41869229993	आईएफएससी कोड	RBIS0COD001	
लाभार्थी का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक								
खाता संख्या	41869229993								
आईएफएससी कोड	RBIS0COD001								
xxv.	निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने की तिथि	07 अगस्त, 2026 पीबीजी परियोजना की कुल लागत का 5% होगा। यानी बोली एल1 के रूप में प्रदर्शित है।							
xvi.	भारतीय रिज़र्व बैंक के संपर्क व्यक्ति का विवरण	श्री हर्षद रेंगुंटवार, सहायक प्रबंधक (9821301007/ 022-22603518) ईमेल आईडी: hrrenguntwar@rbi.org.in श्री तीरूपती प्रशाद पाणिग्राही, सहायक प्रबंधक (7077036993/022-22603517) ईमेल आईडी: tppanigrahi@rbi.org.in							

मुख्य महाप्रबंधक
फिनटेक विभाग

अनुभाग ख: परिभाषाएँ और व्याख्या

इस वित्तीय बोली दस्तावेज और संबंधित दस्तावेज में, निम्नलिखित शब्दों के, जब तक कि वे संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों, निम्नलिखित अर्थ होंगे:

- i. "इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी" या "ईएमए" का तात्पर्य इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों से होगा, जो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के पैनल के लिए बैंक द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरोध के अनुसार 19 सितंबर 2025 को बैंक के साथ पैनल में शामिल होंगी।
- ii. "वित्तीय बोली" का तात्पर्य बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली से होगा, जिसमें प्रस्तावित मूल्य (अर्थात् प्रस्तावित अनुबंध प्रतिफल) निर्धारित किया जाएगा, जो एल1 बोलीदाता के रूप में चुने जाने पर ऐसे बोलीदाता को देय होगा।
- iii. "अनुबंध" का अर्थ बैंक द्वारा सफल बोलीदाता के साथ किया गया करार होगा, जिसमें बोलीदाता को इस कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए ईएमए नियुक्त किया जाएगा। 'अनुबंध' शब्द में ऐसे अनुबंध के सभी अनुलग्नक और परिशिष्ट, तथा ऐसे अनुबंध में संदर्भ द्वारा शामिल किए गए सभी दस्तावेज शामिल हैं;
- iv. "अनुबंध प्रतिफल" का अर्थ ईएमए को अनुबंध के तहत दायित्वों के निष्पादन के लिए बैंक द्वारा देय मौद्रिक राशि होगी;
- v. "कार्य पूरा होना" का अर्थ है कि ईएमए द्वारा की गई सभी सेवाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं, और ऐसी सेवाओं के हिस्से के रूप में अंतिम वितरण योग्य वस्तुएं बैंक को वितरित कर दी गई हैं;
- vi. "आरबीआई" का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा;
- vii. निविदा दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द "बैंक" का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा;
- viii. "आरएफपी" का तात्पर्य इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के पैनल के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध से होगा;
- ix. "सेवाओं" का तात्पर्य एजेंसी द्वारा की जाने वाली इवेंट प्रबंधन सेवाओं से होगा, जैसा कि इस आरएफपी

में विस्तृत रूप से उल्लिखित है;

- x. उप-ठेकेदार" से तात्पर्य ईएमए द्वारा सेवाओं के किसी भी भाग को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति से होगा;
- xi. "वेबसाइट" का तात्पर्य बैंक की वेबसाइट से होगा जो निम्नलिखित URL पर उपलब्ध है:
<https://rbi.org.in/>

अनुभाग ग : ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह फिनटेक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय का ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस और उसके बाद के किसी भी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

i. पंजीकरण:

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के पश्चात ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटरनेट पर वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: वित्तीय बोली केवल एमएसटीसी ई कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- a. विक्रेताओं को एमएसटीसी ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर विक्रेता के रूप में विवरण भरकर और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन पंजीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- b. विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दी गई उनकी ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।
- c. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पूर्व) संपर्क करें।

एमएसटीसी लिमिटेड संपर्क व्यक्ति

- a. श्री मानस मलिक, वरिष्ठ प्रबंधक (एमएसटीसी-डब्ल्यूआरओ), ईमेल आईडी: manas@mstcindia.co.in,
फोन नंबर: 9831108435

- b. श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक, ईमेल आईडी: tsarkar@mstcindia.co.in फ़ोन नंबर: 8349894664
- c. विक्रेताओं के लिए केन्द्रीय हेल्पडेस्क मुख्यालय (एमएसटीसी): फ़ोन नं. 07969066600, ईमेल आईडी: wroopen2@mstcindia.in; (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "मुख्यालय हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

संपर्क अधिकारी (आरबीआई, मुंबई)

(क) श्री हर्षद रेनगुंटवार, सहायक प्रबंधक, (9821301007/022-22603518), ईमेल आईडी:

hrrenguntwar@rbi.org.in

(ख) श्री तीरूपती प्रशाद पाणिग्राही, सहायक प्रबंधक (7077036993/022-22603517) ईमेल आईडी:

tppanigrahi@rbi.org.in

ii. सिस्टम आवश्यकताएँ:

1. विंडोज XP-SP3 एंड अबव /विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
2. IE-7 और इसके बाद के संस्करण का इंटरनेट ब्राउज़र।
3. हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर
4. JRE 7 अपडेट 9 और इसके बाद के संस्करण के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा।

डीएससी को हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

टूल्स=> इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा=> यदि सक्षम है तो संरक्षित मोड अक्षम करें- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें।

iii. अन्य सेटिंग्स:

टूल्स=> इंटरनेट विकल्प=> सामान्य=> "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें=> अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें=> "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय करें।

सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स- इंटरनेट विकल्प- कस्टम स्तर के अंतर्गत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार www.mstcecommerce.com पृष्ठ

से IE सेटिंग्स चलाएँ)

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता **MSTC** ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर उपलब्ध पंजीकरण गाइड और FAQ का संदर्भ ले सकता है।

iv. **ई-टेंडर की प्रक्रिया:**

(क) वित्तीय बोली एमएसटीसी ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदा में दिए गए निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

(ख) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन वित्तीय प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

(ग) **लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट:**

विक्रेता लॉगिन में "माई मेन्यू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके विक्रेता लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास **एनईएफ़टी** या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। **एनईएफ़टी** का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। विक्रेता चालान में छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि बिना किसी बदलाव के जमा करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में भुगतान जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम द्वारा जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

v. **लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय देने के लिए कार्यक्रम के समापन समय से पूर्व ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें।

a. अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के

दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल-आईडी वैध और अपडेट है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

b. ई-टेंडर को ई-टेंडर आमंत्रित करने वाले नोटिस में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

c. ई-टेंडर में बोली लगाना:

i. ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए विक्रेता(ओं) को आवश्यक लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ii. इस प्रक्रिया में वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

iii. जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट- MSTC ई-कॉमर्स (mstcecommerce.com) पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

iv. विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बोली खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा।

v. वित्तीय बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार वित्तीय बोली सहेजे जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

vi. विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'दस्तावेज़ संलग्न करें' बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

vii. सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

viii. संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ix. ई-निविदा मंच पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताए गए समय तक खुला रहेगा।

- x. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और बैंक द्वारा उसे स्वीकार करने से बैंक और विक्रेता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।
- xi. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- xii. बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकार या स्वीकार या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xiii. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर प्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- xiv. इस निविदा से उत्पन्न होने वाला कोई भी ऑर्डर इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- xv. नियमों और शर्तों से कोई विचलन की अनुमति नहीं है।
- xvi. बैंक बिना कोई कारण बताए इस ई-टेंडर को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xvii. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता गाइड पढ़ें और <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पृष्ठ पर वीडियो देखें।

अनुभाग घ: परिचय

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक का फिनटेक विभाग 9 से 11 सितंबर, 2026 तक मुंबई में जीएफएफ 2026 में इनोवेशन पैविलियन स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- ii. बैंक ने तदनुसार निम्नलिखित पाँच इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है:
 - (क) लॉफिंग वॉटर प्रोडक्शंस
 - (ख) एक्सप्रेसन 360 सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - (ग) गो बनानास
 - (घ) सनजीत कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
 - (ङ) एनथ्यूज आंसर्स कम्युनिकेशन्स
 - (च) क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड
 - (छ) पैविलियन्स एंड इंटीरियर इंडिया
- iii. इस संबंध में, बैंक केवल जीएफएफ **2026** के दौरान इनोवेशन पैविलियन की स्थापना के लिए के लिए उपरोक्त सूचीबद्ध ईएमए से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करता है।

अनुभाग ड: कार्य का दायरा

यहाँ उल्लिखित कार्य का दायरा केवल सांकेतिक है।

आयोजन स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है और इनोवेशन पवेलियन का स्थान यानी आवंटित स्थान का लेआउट बोलीदाताओं के साथ साझा किया जाएगा।

बैंक द्वारा सूचीबद्ध इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी हमारी आवश्यकताओं के अनुसार इनोवेशन पवेलियन की स्थापना के लिए जिम्मेदार होगी। इसके साथ उल्लिखित कार्य का कार्यक्षेत्र केवल सूचनात्मक है और इसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

i. इनोवेशन पवेलियन की स्थापना

ईएमए ने आवश्यकतानुसार सभी तत्वों के साथ अंतिम डिजाइन के अनुसार इनोवेशन पवेलियन स्थापित किया है। इनोवेशन पवेलियन को जीएफएफ के उद्घाटन से पूर्व ही ठीक से कार्यरत होना चाहिए। उपलब्धता और उद्योग प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए स्थल को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. जनरेटर

ईएमए को शांत एवं पर्यावरण अनुकूल जनरेटरों की व्यवस्था करनी होगी (जिसमें जंकशन बॉक्स, स्वचालित चेंजओवर, अर्थिंग और अतिरिक्त केबल, डीजल शामिल हैं, तथा बोली के प्रोफॉर्मा में उल्लिखित क्षमता वाले होंगे और घटना के दौरान उल्लिखित दिनों के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखेंगे, **यदि आवश्यक हो** तो जीएफएफ के दौरान सम्पूर्ण इनोवेशन पवेलियन स्थल को चलाने के लिए भी। आवश्यक लाइसेंस आवश्यकताओं की व्यवस्था भी इवेंट मैनेजर द्वारा की जानी होगी।

iii. डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी

ईएमए को बोली के प्रोफॉर्मा में उल्लिखित अनुसार पेशेवर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर नियुक्त करने होंगे। जीएफएफ के समापन के तुरंत बाद, फोटोग्राफ और वीडियो की सॉफ्ट कॉपियाँ बैंक को पेन-ड्राइव या बैंक द्वारा प्रस्तावित अन्य किसी तरीके से उपलब्ध कराई जाएँगी। ऐसी फोटोग्राफ और वीडियो में बौद्धिक संपत्ति अधिकार पूर्णतः बैंक के नाम पर होंगे तथा फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर फोटोग्राफ या वीडियो को प्रकाशित नहीं करेंगे। ईएमए बैंक की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सभी संपादन कार्य करेगा, जो

निर्धारित समय के भीतर पूर्ण किया जाएगा। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की संख्या बोली के प्रोफॉर्मा में उल्लिखित है।

iv. एजेंडा और थीम डिजाइनिंग, प्रिंटिंग:

ईएमए को केवल लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इनोवेशन पैविलियन के थीम का डिजाइन करना होगा, तथा डिजाइनर अनुभवी, रचनात्मक होना चाहिए और समय पर सेवा प्रदान करनी चाहिए।

v. अनुमति/एनओसी

ईएमए इनोवेशन पैविलियन की स्थापना के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और अन्य हितधारकों से आवश्यक अनुमति और एनओसी प्राप्त करेगा। बैंक ईएमए को आवेदन दाखिल करने संबंधी सभी युक्तिसंगत सहयोग प्रदान करेगा। तथापि, ईएमए को उपरोक्त अनुसार आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने हेतु प्राधिकरणों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय एवं संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। सभी लाइसेंस पूर्व में ही प्राप्त किए जाने चाहिए तथा आयोजन से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व बैंक को जमा किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम के उपरांत

ईएमए को जीएफएफ के समापन के पश्चात् सभी स्थापना एवं सामग्री (ब्रांडिंग सहित) हटाकर, साफ-सुथरा किया गया स्थल को स्थल प्रबंधक को (उनकी युक्तिसंगत संतुष्टि के अनुसार) सौंपना होगा।

i. विविध

क. ईएमए को इनोवेशन पैविलियन की स्थापना और कामकाज को कवर करने के लिए एक प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से पर्याप्त बीमा नीति प्राप्त करनी होगी। ईएमए को अपने व्यय पर दायित्वों की पूर्ति हेतु बीमा प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। घटना तैयारी तथा घटना के दौरान संपत्ति/जीवन के किसी भी नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ईएमए पर होगी तथा बैंक किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ख. आवश्यकताएँ गतिशील प्रकृति की होने के कारण कुछ अंतिम क्षण के परिवर्तन हो सकते हैं। चूँकि यह इनोवेशन पैविलियन अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा आरबीआई की प्रतिष्ठा और महत्त्व का कार्य है, अतः ईएमए को सदैव अतिरिक्त व्यवस्थाएँ एवं वैकल्पिक कार्यान्वयन

योजना बनाए रखनी चाहिए।

ii. अन्य जनशक्ति आवश्यकताएँ

ईएमए बैंक के लिए एक समर्पित स्थल प्रबंधक / एकल संपर्क बिंदु नियुक्त करेगा, जो सम्पूर्ण इनोवेशन पविलियन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा तथा सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

(क) ईएमए ऐसे तकनीकी दलों की तैनाती करेगा जिनमें तकनीकी ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवर शामिल होंगे, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों के निरीक्षण और आयोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) ईएमए मुंबई में एक टीम की व्यवस्था करेगा, जो अल्प सूचना पर आरबीआई टीम से मिलने के लिए तैयार रहेगा।

iii. ईएमए के पास वरिष्ठ अधिकारियों की एक समर्पित टीम होनी चाहिए जो बैंक की आवश्यकता को समझने के लिए उसके साथ समन्वय करेगी।

अनुभाग च: नियम और शर्तें

- i. सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता को निविदा प्रदान कि जाएगी।
- ii. यह वित्तीय बोली दस्तावेज केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में बोली लगाने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और सूचीबद्ध ईएमए तक सीमित है। अनचाहे प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है।
- iii. सूचीबद्ध ईएमए से अनुरोध है कि वे इस दस्तावेज में दिए गए शेड्यूल और नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए एमएसटीसी पोर्टल पर बोलियाँ प्रस्तुत करें। बोलियाँ चयनित ईएमए के साथ औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आधार होंगी।
- iv. सूचीबद्ध ईएमए अपनी बोलियों की तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेंगे। बैंक किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक पर कोई बाध्यता या दायित्व डाले बिना वित्तीय बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक वित्तीय बोली को फिर से जारी करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, अगर वह ऐसा करने का फैसला करता है।
- v. बैंक अपने विवेक से, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, इस दस्तावेज़ में जानकारी को अद्यतित, संशोधित, स्पष्ट या पूरक कर सकता है। बैंक इस वित्तीय बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में किसी भी या सभी एजेंसी को चयनित या नियुक्त नहीं करने/बिना कोई कारण बताए वित्तीय बोली को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- vi. किसी भी बाद की अतिरिक्त आवश्यकताओं के मामले में, इसकी लागत बैंक और वित्तीय बोली प्रक्रिया के बाद चयनित की गई इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के मध्य आपसी समझौते के आधार पर तय की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, तो बैंक कुछ दिन पहले एजेंसी को सूचित करेगा और भुगतान की

गणना कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सेवाओं के आधार पर की जाएगी।

- vii. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के नामांकन हेतु अनुरोध पत्र (आरएफपी) के अनुभाग IV में उल्लिखित सभी प्रासंगिक सामान्य शर्तें और प्रावधान इस वित्तीय बोली दस्तावेज पर लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। वित्तीय बोली दस्तावेज और उपर्युक्त आरएफपी के मध्य किसी विसंगति की स्थिति में, पूर्ववर्ती दस्तावेज को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- viii. वित्तीय बोली में केवल ईएमए द्वारा उद्धृत दरें ही होनी चाहिए। उद्धृत दरों में कर शामिल होंगे।
- ix. वित्तीय बोली में उद्धृत दरें अंतिम होंगी और अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी बहाने से उनमें वृद्धि नहीं की जाएगी।
- x. सभी वैधानिक कटौती, जैसा लागू हो, सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को प्रस्तुत बिलों से की जाएगी।
- xi. बोली मूल्य केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किए जाएंगे।
- xii. चयनित एजेंसी द्वारा उप-अनुबंध यदि कोई है तो बैंक की स्वीकृति से होगा।
- xiii. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय बोली के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हैं, तथा कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। वित्तीय बोली खुलने के पश्चात, आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xiv. वित्तीय बोली की वैधता: कीमतें वित्तीय बोली खुलने की तिथि से 01 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगी, जिसे बैंक तथा ईएमए के बीच समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। ईएमए इस अवधि के दौरान वित्तीय बोली को रद्द या वापस नहीं ले सकते या उद्धृत दरों में परिवर्तन नहीं कर सकते।
- xv. प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज ईएमए के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित होने चाहिए।
- xvi. बैंक न्यूनतम या किसी भी वित्तीय बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए वित्तीय बोली प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- xvii. **प्रदर्शन बैंक गारंटी:** सफल बोलीदाता बैंक को प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। प्रदर्शन

बैंक गारंटी निविदाकर्ता को दिए गए टेंडर के मूल्य का 5% (निकटतम हजार रुपये में पूर्णांकित) होगी। बोलीदाता को कार्य शुरू करने से पहले इस दस्तावेज़ में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से प्रदर्शन बैंक गारंटी का भुगतान करना चाहिए। प्रदर्शन बैंक गारंटी के भुगतान पर, एजेंसी/ठेकेदार को उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौता/अनुबंध दर्ज करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक द्वारा अनुमोदित अनुबंध की सभी शर्तें शामिल होंगी। प्रदर्शन बैंक गारंटी का भुगतान न करना अनुबंध के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के रूप में माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अनुबंध की पेशकश रद्द हो जाएगी और आवेदक बैंक को इसके लिए हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए सफल बोलीदाता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को **बैंक द्वारा अनुबंध अवधि पूरी होने के दो महीने पश्चात प्रदर्शन बैंक गारंटी जारी की जाएगी, बशर्ते कि बैंक अनुबंध के सफल समापन के बारे में संतुष्ट हो और सफल बोलीदाता या उसके कर्मचारियों की ओर से बैंक के प्रति कोई देनदारी न हो।** सफल बोलीदाता द्वारा किसी असंतोषजनक सेवा के मामले में, बैंक द्वारा सभी बकाया और देनदारियों को समायोजित करने के बाद ही प्रदर्शन बैंक गारंटी का निर्वहन किया जाएगा। सफल बोलीदाता की ओर से विफलता या अनुबंध की समाप्ति या सफल बोलीदाता के परिसमापन/दिवालियापन या सफल बोलीदाता की संरचना में परिवर्तन के कारण अयोग्य हो जाने के कारण बैंक को हुए नुकसान/प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी की राशि के किसी भी हिस्से या पूरी राशि को वसूलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। ऐसे नुकसान, क्षति, शुल्क, व्यय या लागत के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा और बैंक के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

- xviii. सफल ईएमए द्वारा निर्धारित मूल्य के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की गई निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहने या निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले बैंक अधिकारियों द्वारा

विधिवत हस्ताक्षरित निष्पादन बैंक गारंटी की हार्ड कॉपी बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा न करने की स्थिति में बैंक एल2 को आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- xix. बैंक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/हाथ से/ई-मेल द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से सफल ईएमए को सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है (इसके बाद और अनुबंध की शर्तों में इसे "लेटर ऑफ अवार्ड" कहा जाएगा)। सफल ईएमए को लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर एक अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा। यदि चयनित ईएमए लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने के तीन दिनों के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या नियत तिथि पर कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो कार्य आवंटन पत्र रद्द माना जाएगा और बैंक एल2 को कार्य प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- xx. बैंक और सफल ईएमए के बीच अनुबंध पूर्ण रूप से लागू होगा और लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा। करार के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टॉप शुल्क और इसी तरह के अन्य शुल्क (यदि कोई हो) की लागत ईएमए द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त खंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सफल ईएमए की विफलता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी/प्रदर्शन बैंक गारंटी को रद्द करने और जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।
- xxi. गोपनीयता खंड: ईएमए किसी भी तीसरे पक्ष को बैंक की बुनियादी सुविधाओं / प्रणालियों / उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरणों का सीधे या परोक्ष रूप से खुलासा नहीं करेगा, जो इस अनुबंध के संबंध में अपने अनुबंधित दायित्वों का निर्वहन करते समय ईएमए के अधिकार या ज्ञान में आ सकते हैं, और उन्हें हमेशा सर्वोच्च गोपनीयता के साथ रखेगा। एजेंसी / ठेकेदार अनुबंध के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जहां इसके अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। एजेंसी / ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य कहीं भी कार्यों के किसी भी विवरण को मुद्रित नहीं करेगा, मुद्रित होने नहीं देगा, या खुलासा नहीं करेगा। एजेंसी / ठेकेदार गोपनीय जानकारी के

- खुलासे के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को एजेंसी / ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को नुकसान की मांग करने और इसके लिए कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा। एजेंसी / ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति गोपनीयता की आवश्यकता से अवगत हों और एजेंसी / ठेकेदार अपने कर्मचारियों या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा। इस टेंडर के संबंध में एजेंसी / ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित गोपनीयता खंड अनिश्चित अवधि तक बना रहेगा, भले ही एजेंसी / ठेकेदार और बैंक के बीच अनुबंध समाप्त हो जाए। ईएमए किसी भी समय, यहां तक कि अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद भी, पुस्तक की सामग्री का खुलासा नहीं करेगा, सामग्री को सार्वजनिक नहीं करेगा या किसी भी रूप के सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेगा।
- xxii. बोलीदाता को केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने वाले जीएसटी को छोड़कर स्थानीय कानूनों, कार्य अनुबंध कर आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा ठेकेदार सरकार को उक्त करों का भुगतान करेगा तथा बैंक ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। यदि ठेकेदार बिल में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा उसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- xxiii. बैंक अनुमानित दरों, प्रचलित बाजार दरों, कच्चे माल/श्रम के आर्थिक सूचकांक और अन्य इनपुट लागतों आदि के संबंध में दरों की तर्कसंगतता स्थापित करेगा। तदनुसार, बैंक अपने विवेक से किसी भी बोलीदाता से उद्धृत दरों के आधार पर ब्रेकअप और तर्क प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। असामान्य रूप से कम उद्धरण जो बाजार दरों के अनुरूप नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xxiv. हम सहमत हैं कि यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से यदि कुछ भी संबंधित वैधानिक कानूनों का पालन नहीं करता है तो वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- xxv. बैंक निविदा में भागीदारी के बारे में पुष्टि की सराहना करेगा। यदि बैंक को कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि ईएमए निविदा में भाग लेने में रुचि नहीं रखता है। ऐसे मामले में, बैंक गैर-भागीदारी ईएमए के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

- xxvi. **ईएमए को भुगतान:** ईएमए कार्य के पूर्ण होने पर भुगतान के लिए समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ बिल जारी करेगा। ईएमए अपने कर्मचारियों को उनके हकदार वेतन का भुगतान करेगा। वेतन का भुगतान बैंक द्वारा बिल के भुगतान से संबद्ध नहीं होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- xxvii. यदि बैंक चयनित ईएमए की गुणवत्ता और/या प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी एकमात्र विवेकाधिकार से कार्य को एल2 बोलीदाता को सौंप सकता है तथा एल1 बोलीदाता को भुगतान बैंक की एकमात्र विवेकाधिकार के अनुसार किया जाएगा।

अनुभाग छ: प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रारूप

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मुख्य महाप्रबंधक

फिनटेक विभाग,

केंद्रीय कार्यालय,

भारतीय रिज़र्व बैंक फोर्ट,

मुंबई - 400 001

महोदय,

मुंबई में जीएफ़एफ़ 2026 (9-11 सितंबर, 2026) के दौरान इनोवेशन पैविलियन स्थापित करने के लिए ई-टेंडरिंग

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने मेसर्स (ईएमए का नाम) (जिसे आगे "ईएमए" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल होंगे) को उक्त कार्य (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) के लिए अनुबंध प्रदान किया है और ईएमए उक्त अनुबंध द्वारा आरबीआई को कुल..... की राशि के लिए एक निष्पादन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है, जो कि उक्त ईएमए द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए है। हम (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स..... के अनुरोध पर, ईएमए एतद्वारा आरबीआई को अनुबंध की शर्तों और नियमों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में की उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी साक्ष्य है कि

हम (बैंक का नाम) आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों के साथ इस बात पर सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईएमए ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ईएमए पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के..... की राशि या उससे कम राशि का भुगतान करेंगे जो आरबीआई द्वारा मांगी जा सकती है। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि इस राशि के विरुद्ध हमारी देयता से अधिक न हो।

हम यह भी स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त राशि..... से अधिक न होने वाली राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई की मांग पर, उनके द्वारा लिखित सूचना प्राप्त होने पर करेंगे, जिसमें बताया गया हो कि राशि उनके लिए देय है, और हम किसी अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे। आरबीआई की सूचना हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी तथा हम उसे किसी भी रूप या तरीके से प्रश्नात्मक नहीं बनाएंगे। बैंक आरबीआई को ऐसी मांग की गई राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी अदालत, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में इससे संबंधित कोई विवाद उठाया गया हो, और इस गारंटी के तहत देयता पूर्णतः निर्णायक और असंदिग्ध होगी। हम उपरोक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अतिरिक्त इस बात से भी सहमत हैं कि –

आरबीआई द्वारा उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने या उक्त अनुबंध और/या इसके तहत निर्दिष्ट किसी भी शर्त या प्रावधानों का पालन करने में कोई दयालुता या लापरवाही, या ठेकेदार को कोई समय या अनुग्रह प्रदान करना, या इससे संबंधित कोई अन्य मामला, हमें किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के पूर्ण निर्वहन से ही समाप्त होगी, और

यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा से अधिक न होने वाली राशि के भुगतान द्वारा समाप्त होगी।

हमारी इस गारंटी के तहत देयता से अधिक न होगी।

इस अनुबंध के अंतर्गत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी प्रकार की दुर्बलता या अनियमितता या उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संविधान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

यह गारंटी अनुबंध अवधि से 90 दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो इस गारंटी को उनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए अतिरिक्त अवधि के लिए समान शर्तों और प्रावधानों के अनुसार नवीनीकृत की जाएगी।

इन गारंटी के तहत हमारा दायित्व समाप्त हो जाएगा, यदि इसे ऊपर वर्णित अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा लिखित में केवल एक प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण है, जो भी तिथि बाद में हो। यदि हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा या कार्यवाही निर्धारित अवधि या किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसके तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके साक्ष्य के लिए, मैं/हम बैंक के पक्ष से इस गारंटी पर (माह) (वर्ष) के दिन हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं, जो इसके साथ उचित रूप से अधिकृत हैं।

बैंक की ओर से (बैंक का नाम) अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

बैंक की मोहर/सील

उपरोक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और निम्नलिखित की उपस्थिति में वितरित:
गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार को सत्यापित किया गया है)।

अनुभाग ज: वित्तीय बोली का प्रारूप

09-11 सितंबर, 2026 को मुंबई में जीएफएफ 2026 के दौरान इनोवेशन पवेलियन स्थापित करने के लिए ई-टेंडरिंग

1. जीएफएफ 2025 के लिए फ्लोर का लेआउट - भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए आवंटित क्षेत्र जीएफएफ 2025 के समान है
2. संदर्भ हेतु डिज़ाइन
3. विस्तृत बीओक्यू अर्थात् वित्तीय बोली का प्रारूप - कर सहित राशि